न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— उमेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

उनवान :— विविध प्रकरण संख्या 07/2017

1. सुन्दरपाल पुत्र श्री ख्यालीराम जाति निवासी—जोगीवाला तहसील जार सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

— — प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. इन्द्राज पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील सादूलशहर श्रीगंगानगर
2. रणवीर इन्द्राज पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील सादूलशहर श्रीगंगानगर
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, श्रीगंगानगर

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत।

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री मोहनलाल माहर — प्रार्थी
2. श्री रणजीत सारडीवाल — अप्रार्थी संख्या—1 व 2

दिनांक :— 19.03.2021

—:: आदेश ::—

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीए एक्ट का प्रस्तुत किया जा चुका है जिसके स्वीकार होने की पूरी—पूरी संभावना है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता ख्यालीराम पुत्र लेखराम के नाम से वाके चक 15 एलएनपी प्राथम तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 10/8 के मुरब्बा नम्बर 55 के 1 ता 15 की कुल 3.794 हैक्टेयर कृषि भूमि खातेदारी दर्ज थी। खातेदार की मृत्युपरांत विरासतन ईन्तकाल गया। सुमन द्वारा दस्तबरदारी दिनांक 06.01.2017 व 06.02.2017 से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में निस्पादित करवा दी। जिसका राजस्व अभिलेख में जरिये ईन्तकाल संख्या 772 दिनांक 06.01.2017 तथा ईन्तकाल संख्या 714 दिनांक 06.02.2017 को तस्दीक किया गया। प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम से वाके चक 11 एसपीएम तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नम्बर 23, 24, 37 में 20.00 बीघा, तथा चक 13 एसपीएम के मुरब्बा नम्बर 2 में 7.10 बीघा, मुरब्बा नम्बर 29 में 3.1 5 बीघा, तथा मुरब्बा नम्बर 7 में 3 बीघा , तथा वाके चक 10 एसपीएम के मुरब्बा नम्बर 49 के 11.1 2 बीघा तथा वाके चक 15 एलएलजी के मुरब्बा नम्बर 29 के 4.15 कुल सादुलशहर तहसील में 50.12 बीघा रकबा खातेदारी दर्ज था जिसका खातेदार की मृत्युपरांत विरासतन ईन्तकाल प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1—2 को व पुत्री सुमन के हक में तस्दीक किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने पारिवारिक व्यवस्था बनाये रखने के लिये एक घरेलु बंटवारानामा पंचायत के मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में अपने—अपने कब्जानुसार निष्पादित किया गया ताकि भविष्य में किसी प्रकार का परिवारजन में विवाद

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

ना हो। पारिवारिक समझौता पत्र के अनुसार (I) वादी–सुन्दरपाल को वाके चक 15 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर 55 का 1 ता 1 5 बीघा, चक 1 3 एसपीएम के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 7 में 0.1 26 हैक्टेयर , किला नम्बर 9 में 0.126 हैक्टेयर तथा किला नम्बर 8 सालम, व चक 15 एलएलजी के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 4–5–7–8–9 में 4.15 बीघा। इस प्रकार कुल 21.15 बीघा प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 इन्द्राज के चक 11 एसपीएम तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 23, मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 1 4 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नम्बर 37 में किला नम्बर 17 से 21 प्रत्येक सालम–सालम कुल 20.00 बीघा तथा चक 13 एसपीएम तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 11–12 प्रत्येक सालम–सालम इस प्रकार दोनो चकों में कुल 22 बीघा नहरी रकबा प्राप्त हुआ था। अप्रार्थी संख्या 2 रणधीर को वाके चक 10 एसपीएम तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 3,4,8 ता 13, 18 ता 20 में 11.12 बीघा, चक 13 एसपीएम तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 13–14–17 प्रत्येक सालमदूसालम व किला नम्बर 7 में 0.126 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 ता 3 प्रत्येक सालमदूसालम व मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 12–19–21–22 की 3 बीघा 15 बिस्वा यानि दोनो चकों की 21.17 बीघा भूमि प्राप्त हुई। घरूलु बंटवारानामा के निष्पादन के रोज से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 अपने–अपने हिस्सा पर काबिज हो गये और आज दिनांक तक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्सों पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। प्रार्थी ने अपने परिवार के सहयोग से प्राप्त शुदा कृषि भूमि को अथक मेहनत एवं प्रयत्नों से उपजाऊ योग्य बनाया है। चूंकि रकबा अभी तक राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाते में संयुक्त खातेदार दर्ज है जिसमें हमेशा ही आशंका रहती है कि कभी कोई जबरन कब्जा ना कर ले इसलिये वादी बंटवारानामा के आधार पर बंटवारे में प्राप्त शुदा कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा करवाकर बंटवारा करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी एक पढ़ा लिखा अग्रणी काश्तकार है जो आधुनिक तकनीकी से उपज प्राप्त करना चाहता है चूंकि कृषि भूमि अभी तक संयुक्त खाते में दर्ज है किन्तु भौतिक रूप से मौके पर घरूलु बंटवारा कर अपने–अपने हिस्सा पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मन में बेईमानी आ गई और प्रार्थी को बंटवारा में प्राप्त शुदा कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी है और कहा कि सावणी में हम अपने हिस्सा की कृषि भूमि में कब्जा करेंगे । इसलिये प्रार्थी इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी के जारी करवाने का अधिकारी है ना तो स्वयं और न ही अपने किसी मित्र एवं रिश्तेदार के माध्यम से बंटवारा में प्राप्त शुदा कृषि भूमि पर जबरन कब्जा ना करे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में मदाखलत बेजा ना करे। प्रार्थी ने बंटवारानामा में प्राप्त शुदा 21.15 बीघा कृषि भूमि को उपजाऊ योग्य बनाया है वर्तमान में वादी की हाड़ी की फसल पककर तैयार खड़ी है। राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि मुर्तका खाता में दर्ज होने से प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बंटवारानामा की रूह से अपने–अपने हिस्सा पर काबिज काश्त हो गये और आज भी अपने–अपने हिस्सा पर काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मन में बेईमानी इसलिये आ गई कि रकबा मुर्तका खाते में दर्ज है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को दिनांक 25.04.2017 को कहा कि बंटवारानामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर ले। किन्तु वे आग बबूला हो गये और धमकी दी कि सावणी की फसल हम काश्त करेंगें। दिनांक 25.04.2017 से प्रार्थी के वाद कारण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

हासिल हुए। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 वा 2 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रार्थी के बंटवारानामा में प्राप्त कृषि भूमि वाके चक 15 एलएनपी प्राथम तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1 ता 15 कुल 15 बीघा नहरी में ना तो स्वयं और न ही अपने किसी रिश्तेदार एवं मित्र के सहयोग से मदाखलत बेजा करे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 16.03.2020 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता श्री ख्यालीराम के नाम से चक1 5एलएनपी सैकेण्ड(ए.) के मु0न0-55 में किला नं0-1 से 1 5 की 15 बीघा यानि 3.794 हैक्टेयर कृषिभूमि होना स्वीकार है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहिन श्रीमती सुमन द्वारा हम भाईयों के पक्ष में अपने हिस्से की दस्तबरदारी वर्ष 2017 में होना स्वीकार है शेष कथन गलत ब्यानी होने के कारण स्वीकार नही है वास्तविकता यह कि अब चक 15 एलएनपी सैकेण्ड (ए.) के मु0न0-55 की 15 बीघा भूमि में हम तीनों भाईयों का बहि0व0 कब्जा है और मुझ अप्रार्थी संख्या 2 रणवीर का उक्त रकबा मु0न0-55 के किला नं0-6ता1 0 कुल 5-00 बीघा नहरी भूमि पर कब्जा काश्त है तथा कब्जा काश्त के आधार पर ही मुझ अप्रार्थी संख्या-2 ने ओबीसी बैंक से लोन(ऋण) ले रखा है जिसकी प्रवृष्टि वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है। चक 11 एसपीएम, चक1 3 एसपीएम,चक 14 एसपीएम,चक 15 एलएलजी की कुल कुल रकबा 50-12 बीघा रकबा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता श्री ख्यालीराम के नाम से दर्ज था तथा खातेदार की मृत्युपरांत विरासतन इन्तकाल प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व पुत्री सुमन के हक में तस्दीक किया गया1 मौके पर हम तीनों भाई पाँचों चकों की भूमि मे से 1/3 हिस्सा पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा कुल जमीन का विधिवत बंटवारा नही हुआ है क्योंकि बंटवारा करते समय सम्बन्धित तहसीलदार को पक्षकार बनाया जाना जरूरी है तथाकथित बंटवारा वादी ने चालाकी पूर्ण तरीके से गैर कानूनी रूप अपने भाईयों को धोखा देने की नीयत से अगर कोई लिखा लिया है तो वह मान्य नहीं है और मुझ अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध निष्प्रभावी एवं शुन्य है इसलिये अदालतवाला से यह निवेदन है कि प्रार्थी ने मद संख्या 3(1) में गलत ब्यानी करते हुए लिखा है कि चक1 5 एलएनपी सैकेण्ड(ए.) के मु0न0-55 में किला नं0-1 से1 5 पर कब्जा स्वयं का बताया है जो कथन पूर्णतया गलत होने के कारण अस्वीकार है क्योंकि इस कृषि भूमि में मु0नं-55 में किला नं0-6 ता 10 पर मुझ अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा है और मैंने इस भूमि पर अपनी सुविधानुसार बैंक से ऋण भी ले रखा है जो मेरे कब्जे में होने का प्रथम दृष्टया सबूत है इस तरह से इस पैरा में गलत ब्यानी के कारण अस्वीकार है तथा प्रार्थी क्लीन हैण्ड से नही आया है इसलिये प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। प्रार्थी ने चालाकी पूर्ण तरीके से झूठा कथन करते हुए चक1 5एलएनपी सैकेण्ड (ए) की 1 5 बीघा भूमि पर अकेले ने खातेदारी चाही है जबकि कुल भूमि में प्रत्येक खातेदार का 1/3 हिस्सा बनता है और अभी तक कानूनन बंटवारा हुआ नही है। इस कारण बिना बंटवारा करवाये वादी अच्छी व बहुमुल्य भूमि की स्वयं के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नही करवा सकता क्योंकि चक 15 एलएनपी सैकेण्ड(ए) की भूमि का मूल्य 10,00,000/-रूपये प्रतिबीघा है तथा भाखड़ा कैनाल से सिंचित होने वाली भूमि चक 10,11 व 13

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

एस.पी.एम. तथा चक 15 एल एल.जी. की भूमि का मूल्य 10,00,000/–रूपये प्रतिबीघा है तथा इसी अनुसार दोनो किस्म की भूमियों में डीएलसी रेट में भी अन्तर है तथा प्रार्थी क्लीन हैण्ड से नही आया है इसलिये प्रार्थना पत्र कायिले खारिज है। प्रार्थी पढ़ा–लिखा होने के कारण अप्रार्थी के हिस्से की भूमि दबाना चाहता है क्योंकि प्रार्थी हम अप्रार्थीण तथा कानून को धोखा देकर चक 15 एलएनपी सैकेण्ड(ए) के मु0 न0– 55 में किला नं0–1 से 15 की 15 बीघा भूमि का तो स्वंय खातेदार बनना चाहता है और शेष भूमि 50–12 बीघा भूमि का विवरण प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में दिया है इस भूमि के बंटवारे के बारे में चुप्पी साध गया है ऐसी सूरत में इस दावे के निर्णय उपरान्त वादी इस 50–12 बीघा भूमि मे से फिर 1/3 हिस्सा चाहेगा प्रार्थी क्लीन हैण्ड से नहीं आया है इसलिये प्रार्थना पत्र कायिले खारिज है। प्रार्थी का कब्जा काश्त है रिकॉडेड टिनेंट के विरूद्व टी.आई. जारी नही की जा सकती है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थी के पक्ष में है उक्त रकबा मु0नं0– 55 के किला नं0–6 ता 10 कुल 5–00 बीघा नहरी भूमि पर कब्जा काश्त है तथा कब्जा काश्त के आधार पर ही मुझ अप्रार्थी संख्या 2 ने ओबीसी बैंक से लोन(ऋण) ले रखा है जिसकी प्रवृष्टि वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कायिले खारिज है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय हलफनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2020(2) RRT 1081, 2020(1) RRT 474, 2015 RRD 497, पेश किये। न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए अभिकथन किए कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जो जरिए विरासतन इंतकाल प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को प्राप्त हुई। बंटवारा समझौता पत्र दिनांक 12.05.2014 के द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने घरेलू बंटवारा कर लिखवाया और उसी अनुसार मौका पर काबिज हैं। प्रश्नगत आराजी बंटवारों में प्रार्थी को प्राप्त हुई है। जिसे प्रार्थी ने बिजाई योग्य बनाया है। वर्तमान में अप्रार्थीगण इसमें दखलंदाजी पैदा कर रहे हैं। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा कनफर्म फरमावे। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में सिंचाई विभाग की रसीद कमांक 2879 दिनांक 19.03.2021 एवं कार्यालय जल उपयोक्ता संगम अक्कांवाली की रिपोर्ट दिनांक 19.03.2021 प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा कनफर्म करने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किए कि प्रश्नगत आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। जमीन का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। बंटवारा करते समय तहसीलदार को पक्षकार बनाया जाना जरूरी था जो कि नहीं बनाया गया। प्रार्थी क्लीनहैण्ड से नहीं आया है। अप्रार्थीगण ने कब्जा काश्त अनुसार बैंक से लोन ले रखा है जिसकी प्रविष्टि जमाबंदी में है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाई जावे।

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु हमें तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला 2. सुविधा का संतुलन 3. अपरिमेय क्षति पर विचारण करना होगा।

1. प्रथम दृष्टया मामला – यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी के नाम संयुक्त खाता में बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

एवं अप्रार्थीगण इस आराजी के सहखातेदार है। प्रार्थी द्वारा अभिकथित घरेलू बंटवारा दिनांक 12.05.2014 के सम्बन्ध में निर्धारण जरिए साक्ष्य तय होना है। सिंचाई विभाग की रसीद संख्या 2079 दिनांक 19.03.2021 एवं आदेश जल उपभोक्ता संगम के प्रमाण पत्र दिनांक 19.03.2021 के द्वारा प्रश्नगत आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। अगर कब्जा तीनों सहखातेदारों का होने भी अवधारणा की जाए तो एक ही परिवार के हैं। पैतृक सम्पत्ति की संरक्षा का दायित्व न्यायालय पर है। अतः यह आवश्यक है कि मौका की यथास्थिति बनाए रखें। उक्त तथ्यों के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का संतुलन एवम् अपरिमेय क्षति – सुविध की दृष्टि एवं अभिवचनों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए इन दोनों बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी के सहखातेदार हैं। घरेलू बंटवारानामा के सम्बन्ध में कोई भी विनिश्य होने से पूर्व यदि वादग्रस्त आराजी का अंतरण होता है तो पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद एवं वाद बहुलता में वृद्धि होगी। अतः सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उक्त विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाते हैं। न्याय दृष्टान्त – 2020(1) RRT 474 के अनुसार सहखातदारों के विरूद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03.05.2017 ताफैसला इस आशय से कंनफर्म की जाती है कि उभयपक्ष प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर वाद तंकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 62/2017 बअनवान सुन्दरपाल बनाम इन्द्राज रहे।

आदेश आज दिनांक 19.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्डअधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर